न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 128/2018
निर्णय दिनांक :19.04.2022

1. प्रभात जाट पुत्र श्रीनारायण जाति जाट निवासी ग्राम सायपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील कार्यालय सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 बाबत् दुरूस्ती रिकार्ड

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वाके राजस्व ग्राम सांगानेर, पटवार क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 2328 रकबा 0.23 हैक्टेयर, 2329 रकबा 0.34 हैक्टेयर, 2330 रकबा 0.24 हैक्टेयर, 2331 रकबा 0.44 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.25 हैक्टेयर है जिसमें प्रार्थी हिस्सा 1/5 का खातेदार काश्तकार है, जमाबंदी में प्रार्थी का नाम प्रभात पुत्र श्रीनारायण के स्थान पर प्रभातीलाल पुत्र श्रीनारायण लिपिकिय त्रुटि से दर्ज व अंकित हो गया तथा राजस्व ग्राम सायपुरा, पटवार क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 482 रकबा 0.19 हैक्टेयर, 483 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 484 रकबा 0.34 हैक्टेयर, 485 रकबा 032 हैक्टेयर, 486 रकबा 0.33 हैक्टेयर, 487 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 488 रकबा 0.19 हैक्टेयर, 489 रकबा 0.22 हैक्टेयर, 490 रकबा 0.31 हैक्टेयर, 491 रकबा 1.72 हैक्टेयर, 492 रकबा 0.38 हैक्टेयर, 506 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 507 रकबा 0.17 हैक्टेयर, 508 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 509 रकबा 0.64 हैक्टेयर, 510 रकबा 0.31 हैक्टेयर, 515 रकबा 0.38 हैक्टेयर, 516 रकबा 0.42 हैक्टेयर, 517 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 519 रकबा 0.27 हैक्टेयर, 519 रकबा 0.27 हैक्टेयर, 520 रकबा 0.27 हैक्टेयर, 521 रकबा 0.51 हैक्टेयर कुल किता 22 कुल रकबा 7.38 हैक्टेयर है जिसमें प्रार्थी हिस्सा 1/5 का खातेदार काश्तकार है, जमाबंदी में प्रार्थी का नाम प्रभात पुत्र श्रीनारायण के स्थान पर प्रभूदयाल पुत्र नारायण लिपिकिय त्रुटि से दर्ज व अंकित हो गया। राजस्व ग्राम सायपुरा में स्थित खसरा नम्बर 512, 513, 514, 518 में प्रार्थी का नाम प्रभात पुत्र श्रीनारायण सही दर्ज व अंकित चला आ रहा है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा ग्राम सांगानेर व ग्राम सायपुरा में लिपिकिय त्रुटि से प्रार्थी का नाम प्रभात पुत्र श्रीनारायण के स्थान पर प्रभातीलाल व प्रभूदयाल दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम प्रभात पुत्र श्रीनारायण ही है। प्रार्थी का उक्त लिपिकिय त्रुटि को दुरूस्त कराने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में सही नाम प्रभात पुत्र श्रीनारायण ही दर्ज है, तथा राजस्व अभिलेखों में प्रभात पुत्र श्रीनारायण दर्ज करवा कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाना चाहता है। प्रार्थी ने भूमि पर ऋण हेतु जमाबंदी की नकल ली व बैंक में प्रस्तुत की तो उन्हें बताया गया कि आपका नाम राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग है इस कारण से

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:05:51 IST
Reason: SelfAttested

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय

26, 2022, 18:45

आपको ऋण नही दिया जा सकता। इसको दुरूस्त होने के पश्चात ही आपकों ऋण दिया जा सकता है, जिस पर प्रार्थी ने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त नाम के अंकन को दुरूस्त कराने के लिये जानकारी के दिन से प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी नो जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार सांगानेर ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में प्रभूदयाल है। पटवारी हल्का से जॉच करवायी गई। प्रार्थी को प्रभूदयाल के नाम से भी गांव में पुकारा जाता है लेकिन वास्तविक नाम प्रभात है। प्रभूदयाल एवं प्रभात एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी का नाम मतदाता सूची, आधार कार्ड के आधार पर प्रभात राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित है। अतः तहसीलदार सांगानेर ने रिकार्ड में प्रार्थी का नाम प्रभात दर्ज करने के आदेश प्रदान करने हेतु कहा गया।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं तहसीलदार सांगानेर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में प्रभात दर्ज करने हेतु निवेदन किया। बहस प्रार्थी का अवलोकन किया गया एवं प्रार्थना पत्र में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने पर तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रभातीलाल एवं प्रभात एक ही व्यक्ति है।

अतः प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम सांगानेर, पटवार क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में प्रार्थी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 2328 रकबा 0.23 हैक्टेयर, 2329 रकबा 0.34 हैक्टेयर, 2330 रकबा 0.24 हैक्टेयर, 2331 रकबा 0.44 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.25 हैक्टेयर है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/5 है0 में प्रार्थी का नाम प्रभातीलाल पुत्र श्रीनारायण के स्थान पर प्रभात पुत्र श्रीनारायण एवं राजस्व ग्राम सायपुरा, पटवार क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 482 रकबा 0.19 हैक्टेयर, 483 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 484 रकबा 0.34 हैक्टेयर, 485 रकबा 032 हैक्टेयर, 486 रकबा 0.33 हैक्टेयर, 487 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 488 रकबा 0.19 हैक्टेयर, 489 रकबा 0.22 हैक्टेयर, 490 रकबा 0.31 हैक्टेयर, 491 रकबा 1.72 हैक्टेयर, 492 रकबा 0.38 हैक्टेयर, 506 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 507 रकबा 0.17 हैक्टेयर, 508 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 509 रकबा 0.64 हैक्टेयर, 510 रकबा 0.31 हैक्टेयर, 515 रकबा 0.38 हैक्टेयर, 516 रकबा 0.42 हैक्टेयर, 517 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 519 रकबा 0.27 हैक्टेयर, 519 रकबा 0.27 हैक्टेयर, 520 रकबा 0.27 हैक्टेयर, 521 रकबा 0.51 हैक्टेयर कुल किता 22 कुल रकबा 7.38 हैक्टेयर है जिसमें प्रार्थी हिस्सा 1/5 का खातेदार काश्तकार है में प्रार्थी का नाम प्रभूदयाल पुत्र नारायण के स्थान पर प्रभात पुत्र श्रीनारायण राजस्व रिकार्ड में अमल दरामल किये जाने के आदेश तहसीलदार सांगानेर को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक **19.04.2022** खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:05:51 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),जयपुर

26, 2022, 18:43